

## प्रृष्ठा 21ख

[नियम 11 (1) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।  
बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम-11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अन्तर्विष्ट उपवंशों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री सविर अली

ग्राम- कनना,  
डाकघर-कोडीहार,  
प्रखंड+अनुमंडल- रक्सौल,  
(पूर्वी चम्पारण)

जो जनता दल (यूनाइटेड) द्वारा  
खड़े किये गए हैं

उस सदन में श्री सविर अली के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से  
निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना  
तारीख : 15 दिसम्बर, 2011

15-12-11  
(गिरीश झा)  
रिटायिंग ऑफिसर  
रिटायिंग ऑफिसर  
शायद नं. 5 डी नं. ५